IV 47/13 | 500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

पाँच

ट्रस्ट डीड

मैं कुलदीप पटेल पुत्र स्व0 मेवालाल वर्मा ,दुर्गेश पटेल सुत स्व0 मेवालाल वर्मा ,पन्नालाल पटेल सुत श्री परमेश्वर प्रसाद पटेल ,कल्लू प्रसाद पटेल सुत श्री परमेश्वर प्रसाद पटेल ,अनुराग वर्मा सुत स्व0 धुन्नीलाल निवासी ग्राम– मालाधरछत्ता , पोस्ट– जलेशरगंज , तहसील – कुण्डा , जनपद – प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। जिन्हे आगे व्यवस्थापक/न्यासी कहा गया हैं। व्यवस्थापक की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की हैं। जिसके लिए व्यवस्थापक ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया हैं।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/– रूपये के एक मात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा व समाज के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया हैं के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहता हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने उक्त राशि अंकन 11000/– रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी हैं और दे दी हैं कि न्यासीगण उक्त राशि को दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानो के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नही हैं उक्त व्यवस्थापक ने ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया हैं और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करता हैं और घोषणा करते हैं कि –

1– यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम **मेवालाल वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान** होगा।

2– यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय निवासी ग्राम– मालाधरछत्ता , पोस्ट– जलेशरगंज , तहसील – कुण्डा , जनपद – प्रतापगढ़ होगा परन्तु ट्रस्ट का कार्यालय कही पर सहमति से स्थानान्तरण कर सकते हैं।

3. यह कि ट्रस्ट उक्त राशि अंकन 11000/– रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया हैं कि तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति नगद राशि , निवेश , दान , ऋण , अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेगें तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेगें ।

4. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्द्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओ व कार्यशालाओ की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था , यात्री सेवा व सुविधा के कार्य हेतु धारण करेगें तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

305 28/12/013 500
मेवालाल वर्मा शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
माला घर दत्ता कुण्डा प्र०गढ़

परमेश्वर प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता
ला. नं. 5
कुण्डा-प्रतापगढ़

गिफ्टडीड ~~बैनामा~~ फीस 110/- नकल 20/- योग 130/- शब्द लगभग 800

48 लेख पत्र कुलदीप पटेल S/o स्व० मेवालाल वर्मा
पेशा व्यवसायिक निवासी माला घर दत्ता
परगना ढिंगवस
उप निबन्धक कुण्डा प्रतापगढ़ के कार्यालय
आज दिन 27/12/13 को 3/4 बजे दिन
को प्रस्तुत किया।

Kuldeep Patel

उप निबन्धक
कुण्डा
27/12/13

इस लेख पत्र के निष्पादन को ... समझकर
लेख पत्र के निष्पादन ...
व प्राप्ति अंकित हुई
प्राप्त करने के ... लेखानुसार
तथा ... कुलदीप पटेल उक्त
को स्वीकार किया।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 629521

यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उनपर कोई प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक समस्त और जितनी मात्रा में चाहें सर्वागींण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य :-

1. मेडिकल कालेज , डेन्टल कालेज , नर्सिंग कालेज , फारमेसी कालेज एवं अस्पताल की स्थापना करना एवं संचालन करना।

2. इंजीनियरिंग कालेज , व्यावसायिक कालेज की स्थापना एवं संचालन करना।

3. कम्प्यूटर कोचिंग सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना।

4. बेरोजगार , जरूरतमंद व बेसहारा व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना।

5. लडके व लडकियों एवं सहशिक्षा के लिए विद्यालय, कालेज , महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

6. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यासीगण को समय-समय पर भूमि का ग्रहण , अधिग्रहण संस्थाओं का अधिग्रहण , विलय , सरकारी , गैर सरकारी संस्थाओं , व्यक्तियों संस्थाओं व विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. स्कूल कालेज , तकनीक कालेज , संस्कृत विद्यालय , महाविद्यालय , फर्माशिक्षण , विधि व नर्सिंग शिक्षण , प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना सभी प्रकार के ग्रेजूएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन , प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध , चिकित्सीय शिक्षण एलोपैथिक , होमियोपैथिक , आयुर्वेदिक , युनानी व व्यावसायिक कोर्स हेतु कालेजों , संस्थानों की स्थानापन्न संचालन करना ।

8. नर्सरी स्कूल प्राइमरी स्कूल राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंगलिश मीडियम) मदरसा व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।

9. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

10. शैक्षिक किताबों पेपर (साप्ताहिक , दैनिक समाचार पत्र , मासिक आदि) का प्रकाशन करना , लाइब्रेरी , रीडिंग रूम तथा हॉस्टल / छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

11. सभी प्रकार का फिल्म , टेली फिल्म , फीचर फिल्म आदि का निर्माण करना।

3060 26/12/013
104 3059

उप निबंधक
...प्रसाद
...लिपिक
क्रा. नं. 5
...कुण्डा-प्रतापगढ़

...की पहिचान श्री विक्रमयादव S/O गनेशीलालयादव
पेशा खेती धूरे रामा
...ग्राम लिंवस
श्री रामसेवकयादव दस्तावेज लेखक तह० कुण्डा

उप निबंधक
कुण्डा
27/12/13

Pradeep Patel

Sudhir
विक्रमयादव

रामसेवकयादव
व.ले.

अंगूठा चिन्ह

उप निबंधक
कुण्डा
27/12/13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AA 738047

24. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य के सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ट्रस्ट के लिए ऋण लेना तथा रसीद देना तथा आयकर की निर्दिष्ट धाराओं के अन्तर्गत कार्य करना।

25. वह सभी सामाजिक कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हों ।

26.यह कि इस ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/वर्कशाप आयोजित करना।

27. कृषि उन्नति एवं विकास हेतु अनुसंधान करना एवं वह सभी कार्य करना जिससे उत्पादन बढे एवं समाज में कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

कार्यक्षेत्र :– यह की न्यासी /ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारतवर्ष व भारतवर्ष के बाहर होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार व कर्तव्य एवं नियुक्ति :–

1. यह कि न्यासीगण कों ट्रस्ट फंड की आय व उनके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुयी आय को कालान्तर में कभी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

2. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फंड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय पर जैसे की ट्रस्टीगण उचित समझें उपरोक्त उनके कार्यो में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

3. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टीयों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप सें संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्ति कर लिया हैं व्यवस्थापक ट्रस्टी को ट्रस्ट सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। व्यवस्थापक ट्रस्टीयों का कार्यकाल जीवनपरयन्त होगा।

4. यह कि कुलदीप पटेल सुत स्व0 मेवालाल वर्मा उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष होगें एवं दुर्गेश पटेल सुत स्व0 मेवालाल वर्मा उपरोक्त संस्था के प्रथम सचिव होगें ।

6. यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त ट्रस्टी का कार्यकाल जीवनपरयन्त होगा तथा वे व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेगें। उपरोक्त पदाधिकारी एवं व्यवस्थापक अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग पत्र देता अथवा मृत्यु की दशा में उनके रिक्त पद पर नया पदाधिकारी व्यवस्थापक ट्रस्टी को रखने का अधिकार होगा यदि उक्त व्यवस्थापक ट्रस्टीयों में से कोई भी ट्रस्टी अपने पद से त्याग पत्र देते हैं तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह पर नया ट्रस्टी बनाने का अधिकार होगा । यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग पत्र देता हैं और उसे सचिव व अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा । ऐसी दशा में त्याग पद देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार एवं संबंध ट्रस्ट से खत्म हो जायेगें।

500 Rs.

5

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये — Rs. 20

रु. 20 — TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AA 738048

6. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगें।

अध्यक्ष :– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना , ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारु रूप से चलाने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करने के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना किन्तु उपाध्यक्ष द्वारा किये गये कार्यवाही बैध होगें जिनका अनुमोदन अध्यक्ष /सचिव से करा लिया लिया जायेगा।

सचिव :– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व ओदशों को कार्य रूप मे पर्णित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्य कलाप को सुचारु रूप से संचालित करना । सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप सें विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना । अगली बैठक बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल तथा ट्रस्टीयों को भेजना । ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित करना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव:– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना , किन्तु उपसचिव द्वारा की गयी कार्यवाही बैध्य होगें जिनका अनुमोदन सचिव /अध्यक्ष से करा लिया जायेगा।

कोषाध्यक्ष :– ट्रस्ट की समस्त आय व्यय का विवरण रखना व उसको आडिट कराना ट्रस्ट की समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव क्षरा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना । ट्रस्ट के खातों का अध्यक्ष /सचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा होगा या इनमें से किसी एक/संयुक्त पदाधिकारी द्वारा खातों का संचालन किया जा सकता हैं।

7. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे न्यायालय प्रकरण , प्रत्यक्ष , अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित , लेन–देन निर्माण , मान्यता , सम्बoता आदि आपसी सहमति से व्यस्थापक ट्रस्टीगण करेंगें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय एवं आपात कालीन समस्या के लिए विशेष बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी । अध्यक्ष एवं सचिव आदेश , निर्देश व सूचना प्रदान करेंगें यदि किसी विशय पर मतभेद हो सकता हैं तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य मान्य होगा।

Golap Patel

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AA 736049

8. यह कि व्यवस्थापक ट्रस्टी समय-समय पर सामाजिक , धार्मिक व शैक्षिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति का गठन करेंगें जिसमें वे सदस्य या उनमें से एक अधिक ट्रस्टी , अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्ति व भंग करने का अधिकार होगा। एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति अथवा उसका कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को संबंधित कार्यों उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जों अधिकार व्यवस्थापकगण उचित समझें प्रदान करने की शक्ति होगी।

9. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट अथवा उसके उद्देश्यों से संबंधित कार्य हेतु किसी भी ऐजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल हैं को नियुक्ति करने तथा धनराशि अदा करने का ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. यह कि बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी का 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझें बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

11. यह कि ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय समय व्यक्तिगत , वित्तीय संस्थाओं , फर्म , बैंक आदि से उधार /ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की सम्पत्तियों /अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ट्रस्ट की सम्पत्तियों /परिसम्पत्तियों को किराया , शेयरों ऋणपत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. यह कि अध्यक्ष एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कही भी चल व अचल सम्पत्ति किन्ही भी शर्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेगें तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने , चाहे पूर्ण स्वामित्व मे हो व लीज पर हो व किराये पर हो या क्रय करने व किसी और तरीके सेस प्राप्त करने , विक्रय करने , किराये पर देने , हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण की ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से विरक्त होने का अधिकार नही होगा।

13. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयों की संख्या 1/3 अथवा 3 ट्रस्टीयों का जो भी अधिक हो होगा। यदि कोरम के अभाव में स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि व स्थान की समस्त ट्रस्टीगण को डाक द्वारा व्यक्ति सूचित प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नही हो सकती । ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवस्थापक ट्रस्टीगण की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AA 738050

14. यह कि उक्त व्यवस्थापक का ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकि कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें । उक्त व्यवस्थापकों ट्रस्टी मृत्यु के बाद उनकी सन्तान अथवा कानूनी वारिश पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगें और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा।

15. यह कि संबंधित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि , सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होगें तथा केवल अपने द्वारा किये गये प्राप्ति , उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर , दलाल , ऐजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार से हानि होने पर परन्तु उनके द्वारा जान बूझ कर की चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण न हुआ हो तो ट्रस्टीगण उनसे लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी होगें ।

16. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव के नाम से चालू खाता , सावधि जमा खाता , बचत खाता , ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिग का व्यवसाय करती हो तो खोल व रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स खातों व अन्य सभी बैंकिग खातो का संचालन अध्यक्ष व सचिव द्वारा होगा या उक्त व्यवस्थापक ट्रस्टी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातो का संचालन किया जा सकेगा।

17. यह कि व्यवस्थापक ट्रस्टी को अन्य अस्थाई ट्रस्टी सदस्य बनाने व हटाने का अधिकार होगा। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इनको मत देने का अधिकार नही होगा। 2 वर्ष उपरान्त इनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा। व्यवस्थापक ट्रस्टी के बाद इनके बच्चे उक्त ट्रस्ट के व्यवस्थापक ट्रस्टी होंगें और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगे।

18. यह कि ट्रस्टीगण उक्त उद्देश्यों की पूर्ति तथा आवश्यक होन पर अन्य व्यक्तियों संस्था किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का अधिकार होगा।

19. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चो का व ट्रस्ट फंड सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बकायदा हिसाब रखेगें और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होन वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा चिट्ठा बनायेगें जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

20. यह कि न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी व वसीयत के अनुसार निश्चित कर सकें ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेगें । संस्थापकगण ट्रस्टी

IV 47/13 | 500Rs.

8

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AN 361442

...पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी ... का अधिकार न होगा। प्रत्येक ट्रस्टी /न्यासी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा। जो उक्त न्यासी /ट्रस्टी के मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होन पर उक्त व्यवस्थापक ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी /ट्रस्टी तथा नवनियुक्ति ट्रस्टी को एतद्द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार व दायित्व होगा।

21. यह कि ट्रस्ट फंड मे सम्मलित राशि , सम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों सार्वजनिक , नीलाम अथवा प्राइवेट अथवा संविदा द्वारा अथवा बिना शर्त विक्रय करना , क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टी उसमें हुई हानि के जिम्मेदार नही होगें

22. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी अन्य कारण बस से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होगें तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

23. यह डीड ट्रस्ट के सचिव द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी।.

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

गठित ट्रस्ट का स्वरूप :-

1.	कुलदीप पटेल सुत स्व0 मेवालाल वर्मा	(अध्यक्ष)	Kuldeep Patel
2.	दुर्गेश पटेल सुत स्व0 मेवालाल वर्मा	(सचिव)	Durgesh
3.	पन्नालाल पटेल सुत श्री परमेश्वर प्रसाद	(न्यासी)	पन्नालाल
4.	कल्लू प्रसाद पटेल सुत श्री परमेश्वर प्रसाद	(न्यासी)	[illegible]
5	अनुराग वर्मा सुत स्व0 धुन्नीलाल वर्मा	(न्यासी)	अनुराग वर्मा

Kuldeep Patel

ग. Yadav - विक्रम यादव S/O श्री गनेश्री लाल यादव, ग्रा.- प्रैरामा, पो.- मेहदाबड़ोपट्टी,

ग. रामसेवक यादव - दस्तावेज लेखक कुण्डा प्रतापगढ़